न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 62/23

रामदेव पुत्र कुसलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. छोटूदेवी पत्नि पप्पुराम जाति जाट निवासी सारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. नथीदेवी पुत्री हुक्माराम पत्नि पुरखाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर
3. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 11-11-24

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 344 तीन सो चोवालीस तादादी 7.9293 सात दशमलव नो दो नो तीन हेक्टेयर, खसरा संख्या 345 तीन सो पेंतालीस तादादी 2.7316 दो दशमलव सात तीन एक छः हेक्टेयर, खसरा संख्या 373 तीन सो तेहतर तादादी 0.3541 जीरो दशमलव तीन पांच चार एक हेक्टेयर कुल किता 3 तीन कुल रकबा 11.0150 ग्यारह दशमलव जीरो एक पांच जीरो हेक्टेयर वाके रोही ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 1/3 एक बट्टा तीन हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौका पर मौखिक विभाजन किया हुआ है। मुताबिक मौखिक विभाजन के खेत खसरा संख्या 345 तीन सो पेंतालीस तादादी 2.7316 दो दशमलव सात तीन एक छः हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खेत खसरा संख्या 344 तीन सो चोवालीस तादादी 7.9293 सात दशमलव नो दो नो तीन हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.9401 जीरो दशमलव नो चार जीरो एक हेक्टेयर भूमि वादी के हिस्सा पांति में आई हुई है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो का खान–पान, रहन–साहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लामांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 10.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 4 चार के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सारंगसर खसरा संख्या 344, 345, 373 तादादी क्रमशः 7.9293, 2.7316, 0.3541 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 11.0150 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 1/3 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 11/11/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर